Open Access

उदयगिरी - बहुभाषिक इतिहास संशोधन पत्रिका

(A Bimonthly, Refereed, & Peer Reviewed Journal of History)

Published by: AAASSHER, Mumbai, (MS) India

Journal homepage: https://udayagiri.aaassher.org/

ISSN (Online): 2583-8423

Volume 1, Issue 4, October 2023; Pages 144 – 149

DOI: 10.5281/zenodo.10071151

Original Research Article

गांधीजी का ग्रामीण विकास का दृष्टिकोण

प्रा. डॉ. मौलाना महेताब सय्यद

विभाग प्रमुख, भूगोल विभाग, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय मुक्रमाबाद ता. मुखेड, जि. नांदेड ४३१७१९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: maulanamsd7276@gmail.com

Received: 13 October, 2023 | Accepted: 25 October, 2023 | Published: 26 October, 2023

परिचय

गांधी जी के सपनों का भारत गांवों में बसता था और इसके लिए वे ग्राम स्वराज, पंचायती राज, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गांवों में स्वच्छता, गांवों का आरोग्य और समग्र ग्राम विकास आदि को प्रमुख मानते थे। भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में अधिकतम उत्पादन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें ग्रामीण और कुटीर उद्योगों पर जोर देने के साथ ग्रामीण उद्योगों का विकास भी शामिल है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम संभव रोजगार के अवसरों के सृजन को महत्व देता है। सैद्धांतिक रूप से, ग्रामीण विकास के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण को 'आदर्शवादी' कहा जा सकता है। यह नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देता है और भौतिक परिस्थितियों पर नैतिक मूल्यों को प्रधानता देता है।

गांधीवादियों का मानना है कि, सामान्य तौर पर नैतिक मूल्यों का स्रोत धर्म और विशेष रूप से उपनिषद और गीता जैसे हिंदू धर्मग्रंथों में निहित है। 'राम राज्य' की अवधारणा गांधीजी के आदर्श सामाजिक व्यवस्था के विचार का आधार है। गांधी ने राम राज्य को "नैतिक अधिकार पर आधारित लोगों की संप्रभुता" के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने राम को एक राजा के रूप में और लोगों को अपनी प्रजा के रूप में नहीं देखा।

गांधीवादी योजना में, 'राम' भगवान के प्रतीक थे या किसी की अपनी आंतरिक आवाज़। गांधी एक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में विश्वास करते थे जिसमें लोग सर्वोच्च हैं। हालाँकि, उनकी सर्वोच्चता पूर्ण नहीं है। यह नैतिक मूल्यों के अधीन है।

संशोधन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधनिबंध का प्राथमिक लक्ष्य गांधीजी के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना तथा भारत की आर्थिक प्रगति के लिए एक स्थायी आर्थिक मॉडल प्राप्त करना है।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के गांधीवादी मॉडल के बुनियादी सिद्धांत

गांधीजी द्वारा उल्लिखित ग्राम स्वराज के मूल सिद्धांत ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, पूर्ण रोजगार, रोटी, श्रम, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, समानता, नया प्रशिक्षण आदि हैं। इस प्रकार गांधीवादी सपने के आदर्श गांव का विचार एक व्यापक था, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक आयाम आदि। गांधीजी ने मानव जीवन के हर पहलू में सत्य और अहिंसा पर जोर दिया और कहा, "मेरे विचार से स्वराज तभी आएगा जब हम सभी इस बात पर दृढ़ विश्वास कर लेंगे कि, हमारा स्वराज सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही हासिल करना है, और इसे बनाए रखना है। इस मॉडल के अंतर्निहित ग्रामीण विकास का गांधीवादी मॉडल निम्नलिखित मूल्यों पर आधारित है:

१. ग्रामीण भारत अपने शहरों में नहीं, बल्कि अपने गांवों में पाया जाता है।
२. गांवों का पुनरुद्धार तभी संभव है जब ग्रामीणों का शोषण न हो। शहरवासियों द्वारा ग्रामीणों का शोषण गांधीजी की राय में 'हिंसा' थी।
३. स्वदेशी उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों का उपयोग करना।
४. श्रम की गरिमा : प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोटी शारीरिक श्रम से अर्जित करनी चाहिए, और जो श्रम करता है उसे अपना निर्वाह अवश्य मिलना चाहिए।
५. सादा जीवन और उच्च विचार, जिसका तात्पर्य भौतिकवादी आवश्यकताओं में स्वैच्छिक कमी और जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करना है।
६. साध्य और साधन के बीच संतुलन: गांधीजी का मानना था कि, अहिंसा और सत्य तब तक कायम नहीं रह सकते जब तक कि साध्य और साधन के बीच संतुलन कायम नहीं किया जाता।

गांधीवादी मॉडल के प्रमुख घटक

१. आदर्श ग्राम

गांव गांधीवादी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई है। गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि, “यदि गाँवों को नष्ट कर दिया जाए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा”। हमें गाँवों के भारत के बीच चुनाव करना होगा जो अपने आप में उतना ही प्राचीन हो जितना कि भारत और उन शहरों का भारत जो विदेशी प्रभुत्व का निर्माण कर रहे हैं। गांधी का आदर्श गाँव पूर्व-ब्रिटिश काल का है, जब भारतीय गाँवों को स्वशासी स्वायत्त गणराज्यों के संघ का गठन करना था।

गांधीजी के अनुसार, इस महासंघ को जबरदस्ती या मजबूरी से नहीं, बल्कि इस तरह के महासंघ में शामिल होने के लिए प्रत्येक गांव के गणतंत्र की स्वैच्छिक पेशकश द्वारा लाया जाएगा। केंद्रीय प्राधिकरण का काम केवल विभिन्न ग्राम

गणराज्यों के काम का समन्वय करना और शिक्षा, बुनियादी उद्योगों, स्वास्थ्य, मुद्रा, बैंकिंग आदि के रूप में सामान्य हित की चीजों का पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना होगा।

केंद्रीय प्राधिकरण के पास नैतिक दबाव या अनुनय की शक्ति को छोड़कर गांव गणराज्यों पर अपने फैसले लागू करने की कोई शक्ति नहीं होगी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई आर्थिक प्रणाली और परिवहन प्रणाली ने गांवों के "गणतंत्रात्मक चरित्र" को नष्ट कर दिया है। हालाँकि, गांधी ने स्वीकार किया कि पुराने समय में अत्याचार और उत्पीड़न वास्तव में सामंती प्रमुखों द्वारा किया जाता था। आज हालात कठीण हैं। यह सबसे अधिक विनाशकारी है। इस तरह से गांधीवादी योजना में प्राचीन गणतंत्र, अत्याचार और शोषण के बिना एक भारतीय गांव एक मॉडल इकाई के रूप में कार्य करता है।

२. विकेंद्रीकरण

गांधी का दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही ग्राम गणराज्यों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी प्रणाली में निर्णय लेने की शक्ति राज्य और राष्ट्रीय राजधानी के बजाय ग्राम पंचायत में निहित होगी। प्रतिनिधियों को सभी वयस्कों द्वारा पांच साल की निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। चुने हुए प्रतिनिधि एक परिषद का गठन करेंगे, जिसे पंचायत कहा जाएगा।

पंचायत विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का अभ्यास करती है। यह गाँव की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की देखभाल करेगा। यह पंचायतों की जिम्मेदारी होगी कि वे 'अछूतों' और अन्य गरीब लोगों की रक्षा और उत्थान करें। गाँवों के प्रबंध मामलों के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण के संसाधन गाँवों से उठाए जाएंगे।

सभी विवादों को गांव के भीतर हल किया जाएगा। और जहां तक संभव हो एक भी मामला गांव के बाहर की अदालतों में नहीं भेजा जाना चाहिए। पंचायत ग्रामीण पुनर्निर्माण के बारे में ग्रामीण लोगों के बीच नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व के प्रसार में अपनी भूमिका निभाएगी।

अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के अलावा, गाँव किसी भी आक्रमण के खिलाफ खुद का बचाव करने में भी सक्षम होगा। गाँव की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों की एक अहिंसक शांति ब्रिगेड का आयोजन किया जाएगा। यह सामान्य सैन्य गठन से अलग होगा। वे अहिंसा और ईश्वर में अत्यधिक विश्वास करेंगे।

३. आत्मनिर्भरता

ऐसी विकेंद्रीकृत राजनीति का तात्पर्य एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से है। इसे ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक भोजन, वस्त्र, और अन्य आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, गाँव आत्मनिर्भर होना चाहिए। गाँव को कुछ चीजों का आयात करना पड़ता है जो गाँव में उत्पादन नहीं हो सकती है। "हमें अधिक उत्पादन करना होगा जो हम कर सकते हैं"।

गांव को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्न फसलों और कपास का उत्पादन करना चाहिए। कुछ भूमि मवेशियों के लिए तथा वयस्कों और बच्चों के खेल के मैदान के लिए भी रखी जानी चाहिए। यदि कुछ भूमि अभी भी उपलब्ध है, तो इसका उपयोग तम्बाकू, अफीम इत्यादि उपयोगी नकदी फसलों को उगाने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे गांव को उन चीजों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके जो इसका उत्पादन नहीं करती हैं।

गाँव की अर्थव्यवस्था को गाँव के सभी वयस्कों को पूर्ण रोज़गार प्रदान करने की दृष्टि से योजना बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी बुनियादी जरूरतों को गांव में ही पूरा कर सके ताकि वह शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर न हो।

शारीरिक श्रम आत्मनिर्भर गांव की गांधीवादी अवधारणा में एक केंद्रीय स्थान रखता है। इस संबंध में वह टॉल्स्टॉय और रुस-तत्ववेत्ताओं से बहुत प्रभावित थे। गांधी के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोटी कमाने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। नैतिक अनुशासन और मन की आवाज के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है। बौद्धिक श्रम केवल अपनी संतुष्टि के लिए है और किसी को इसके लिए भुगतान की मांग नहीं करनी चाहिए।

शरीर की जरूरतों को शरीर द्वारा आपूर्ति की जानी चाहिए। गांधी ने कहा, "यदि सभी अपनी रोटी के लिए तरसते हैं तो सभी के लिए पर्याप्त भोजन और पर्याप्त अवकाश होगा।" श्रीमन नारायण ने ठीक ही कहा, " गांधीजी ने शौचालय को एक अभिशाप नहीं बल्कि जीवन का आनंददायक कार्य माना है।

४. औद्योगीकरण

गांधीजी ने कहा कि, औद्योगिकीकरण से कुछ ही मदद मिलेगी और इससे आर्थिक शक्ति में एकाग्रता आएगी। औद्योगीकरण से गांवों का निष्क्रिय या सक्रिय शोषण होता है। यह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विपणन की आवश्यकता होती है। विपणन का मतलब है एक शोषणकारी तंत्र के माध्यम से लाभ-प्राप्ति। इसके अलावा, औद्योगिकीकरण जनशक्ति की जगह लेता है और इसलिए यह बेरोजगारी को जोड़ता है। भारत जैसे देश में, जहां गांवों में लाखों मजदूरों को साल में छह महीने भी काम नहीं मिलता है,

औद्योगीकरण से न केवल बेरोजगारी बढ़ेगी, बल्कि मजदूरों को शहरी इलाकों में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे गांव बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी तबाही से बचने के लिए, गाँव और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। वे ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार प्रदान करते हैं और गांव की आत्मनिर्भरता को आसान बनाते हैं। अगर दो उद्देश्य पूरे होते हैं तो गांधीवादी मशीनों और औजारों के खिलाफ नहीं हैं। गांधी के अनुसार, ग्रामीणों को उन आधुनिक मशीनों और औजारों का भी उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, जो वे बना सकते थे और उपयोग करने के लिए खर्च कर सकते थे। केवल उनका उपयोग दूसरों के शोषण के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

५. **विश्वस्त:** (ट्रस्टीशिप)

गांधीजी निजी संपत्ति के संस्थान के खिलाफ नहीं थे। लेकिन वह संस्थान निजी संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करना चाहता था जो एक सम्मानजनक आजीविका देने के लिए आवश्यक था। इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को निर्धारित किया। गांधीजी ने सामाजिक और आर्थिक मामलों में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जोर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि, सभी सामाजिक संपत्ति ट्रस्ट में रखी जानी चाहिए। पूँजीपति न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। उनके कुछ अतिरिक्त धन का उपयोग शेष समाज के लिए किया जाएगा।

विश्वस्त के तहत गरीब श्रमिक, पूंजीपतियों को अपना हितैषी मानेंगे; और उनके नेक इरादों पर विश्वास करेंगे। गांधीजी का मानना था कि यदि ऐसी ट्रस्टीशिप स्थापित की जाएगी तो श्रमिकों का कल्याण बढ़ेगा और श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच टकराव से बचा जा सकेगा। ट्रस्टीशिप जमिनी स्तर पर समानता की स्थिति को साकार करने में काफी मदद करेगी। गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि, भूमि किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। भूमि भगवान की है। इसलिए, भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व से बचना चाहिए। उसके लिए एक जमींदार को अपनी भूमि का ट्रस्टी बनने के लिए राजी किया जाना चाहिए। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह जिस जमीन का मालिक है, वह उसकी नहीं है। भूमि समुदाय की है और इसका उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। वे महज ट्रस्टी हैं। समझा-बुझाकर जमींदारों का हृदय परिवर्तन करना चाहिए और उन्हें स्वेच्छा से अपनी भूमि दान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

यदि भूमि मालिक बाध्य नहीं होते हैं और गरीब श्रमिकों का शोषण करना जारी रखते हैं, तो उन्हें उनके खिलाफ अहिंसक, असहयोग, सविनय अवज्ञा संघर्ष आयोजित करना चाहिए। गाँधी जी ने इस विचार को सही ठहराया कि "कोई भी व्यक्ति संबंधित लोगों के सहयोग के बिना, इच्छा या दबाव के बिना, धन इकट्ठा नहीं कर सकता है"। असमानताओं को कुचलना जिसने उन्हें भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन उत्पीड़ितों को हिंसक तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। गांधीवादी योजना में सहयोग, प्रेम और सेवा का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा "नैतिक मूल्यों" के विरुद्ध है और नैतिक मूल्यों के अभाव में सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

गांधीजी की विकास की अवधारणा आम आदमी के उत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने आम आदमी की आर्थिक भलाई के लिए महानगरों की बजाय ग्रामीण आवासों और आयातित प्रौद्योगिकी की बजाय स्वदेशी को प्राथमिकता दी। उन्होंने विशाल उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योगों की आवश्यकता पर बल दिया और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बजाय विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। उन्होंने एकीकृत ग्रामीण विकास की आवश्यकता को महसूस किया और उनका मानना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय को उचित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए 'नैतालिम' कहा।

ग्रामीण विकास के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण ग्रामीण गणराज्यों के पुनर्निर्माण का प्रयास करता है जो अब तक अहिंसक, स्व-शासित और आत्मनिर्भर हैं, जहां तक ग्रामीण लोगों की बुनियादी जरूरतों का सवाल है। एक नई

सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था बनाने के अलावा, इसका प्रयास मनुष्य को बदलना है; अन्यथा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन अल्पकालिक होगा।

निष्कर्ष

किसी भी अन्य विकास मॉडल की तरह, ग्रामीण पुनर्निर्माण के गांधीवादी मॉडल के भी समर्थक और विरोधी दोनों हैं। समर्थकों का तर्क है कि, भारत में मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों में, गांधीवादी मॉडल अभी भी प्रासंगिक है, तथा न्यायसंगत और टिकाऊ ग्रामीण विकास लाने के लिए एकमात्र विकल्प है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि, पंचायती राज संस्थाएं और सहकारी समितियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी गांधीजी के दिनों में थीं, और वर्तमान भारतीय संदर्भ में भी उचित शिक्षा की भूमिका को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। आलोचकों का तर्क है कि, गांधीजी के स्वदेशी, अपनी आवश्यकताओं में स्वैच्छिक कटौती, सरपरस्ती (ट्रस्टीशिप), आत्मनिर्भर गांव और मशीनों के बजाय शारीरिक श्रम के उपयोग के आदर्श इन दिनों अप्रचलित लगते हैं, खासकर भारत की नई आर्थिक नीति के दौर में जो निजीकरण, उदारीकरण, और वैश्वीकरण की विशेषता है। वास्तव में, जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में, आर्थिक वृद्धि-उन्मुख विकास को अपनाकर और औद्योगीकरण के पश्चिमी मॉडल का अनुसरण करके, भारत ने गांधीवादी मॉडल को बहुत पहले ही त्याग दिया था। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि, गांधीजी चाहते थे भारत पूर्व की ओर यात्रा करे, लेकिन भारत ने पश्चिम की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया, और यह ज्ञात है कि 'दोनों कभी नहीं मिलते।

संदर्भ सूची

१. अनिल मिश्र, गांधी के विचार: प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2009.

२. गंगाप्रसाद अग्रवाल, हिंद स्वराज्य मार्गदर्शक दस्ताऐवज : साम्य योग साधना प्रकाशन, धुळे 2005.

३. गंगाधर कराळे, ग्रामीण विकासाचा एकात्मिक दृष्टिकोन: मंगेश प्रकाशन, नागपूर 2008.

४. महात्मा गांधी, ग्रामस्वराज्य: नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद.

५. डॉ. व्ही. जी. कुलकर्णी व कांत सोमवंशी, भारतीय राजकीय विचारवंत: कैलाश पब्लिकेशन्स, औरंगपुरा औरंगाबाद, जून-2005.

६. Hendrick, George. "The Influence of Thoreau's 'Civil Disobedience' on Gandhi's Satyagraha." The New England Quarterly 29, no. 4 (December 1956). 462–71.

७. Myerson, Joel et al. The Cambridge Companion to Henry David Thoreau. Cambridge University Press. 1995

८. Walls, Laura Dassow. Henry David Thoreau: A Life. The University of Chicago Press.

९. https://hi.triangleinnovationhub.com/gandhian-approach-rural-development.

१०. https://www-divyahimachal.com/2022/06/gandhiji-and-rural-development.

११. https://www-mkgandhi.org./revivalvillage/villageindustry.html